पत्र सं0- 11 /2025/67 /चार-2025- 1883057

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
खेलकूद/ युवा कल्याण/ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम/ खादी एवं ग्रामोद्योग/ हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग/ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/ चिकित्सा शिक्षा/ संसदीय कार्य/आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स/उच्च शिक्षा/ माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/ गृह/ कृषि/उद्यान/ नगर विकास/ ग्राम्य विकास/ पर्यटन/ सूचना एवं जनसम्पर्क/ पशुधन/ औद्योगिक विकास/समाज कल्याण/पंचायती राज/ आवास एवं शहरी नियोजन/ सचिवालय प्रशासन विभाग/ विज्ञान एवं प्रोद्योगिक/महिला कल्याण/राष्ट्रीय एकीकरण/बाल विकास एवं पुष्टाहार/औद्योगिक एवं अवस्थापना विभाग, उत्तर प्रदेश।

2. समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संस्कृति अनुभाग लखनऊः दिनांक 08 जनवरी, 2025

विषयः- दिनांक 24-26 जनवरी, 2025 की अवधि में 'उत्तर प्रदेश दिवस-2025' को समारोह पूर्वक आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना दिनांक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इस दिन प्रदेश का नाम संयुक्त प्रान्त से बदल कर 'उत्तर प्रदेश' रखा गया था। वर्ष-2018 से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस को भव्यपूर्ण ढंग से निरन्तर आयोजित किया जा रहा है। उक्त त्रिदिवसीय (24-26 जनवरी, 2025 के मध्य) आयोजन सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा जनसहभागिता के सहयोग से मनाया जाता रहा है। इस राज्य स्तरीय आयोजन में मुख्य कार्यक्रम लखनऊ एवं नोयडा में आयोजित किये जाते हैं, अन्य जनपदों के जिला मुख्यालयों में भी जनसहभागिता के साथ इस आयोजन को मनाया जाता रहा है।

2. विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर 'उत्तर प्रदेश दिवस-2025' का आयोजन दिनांक 24-26 जनवरी, 2025 की अवधि में लखनऊ एवं नोएडा के साथ-साथ अन्य समस्त जनपदों में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।

3. 'उत्तर प्रदेश दिवस-2025' के आयोजन की थीम ''विकास व विरासत प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश'' है। अतएव समस्त विभागों द्वारा इसी थीम पर प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं, रोड शो आदि का आयोजन सुनिश्चित करेंगे।

4. 'उत्तर प्रदेश दिवस-2025' के आयोजन के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रदेश में आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों का तिथिवार निम्नवत् आयोजन सुनिश्चित किया जाये:-

- संस्कृति विभाग, उ0प्र0 के शासनादेश संख्या- 414/2024/3904/चार-2024, दिनांक 27 दिसम्बर, 2024 द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में 'उत्तर प्रदेश पर्व हमारी संस्कृति हमारी पहचान' के अन्तर्गत 'संस्कृति उत्सव-2024-25' की शुरूआत की जा चुकी है। इस प्रतियोगिता का आयोजन सभी जिलों में प्राथमिकता के आधार पर कराया जाये।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- दिनांक 12 जनवरी, 2025 को 'स्वामी विवेकानन्द जयंती —2025' के अवसर पर युवा कल्याण विभाग द्वारा खेल-कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाये तथा इस प्रतियोगिता के विजेताओं को 'उत्तर प्रदेश दिवस-2025' के अवसर पर सम्मानित/पुरस्कृत किया जाये।
- दिनांक 23 जनवरी, 2025 को 'नेता जी सुभाष चन्द्र बोस जयन्ती,' 24 जनवरी, 2025 को 'उत्तर प्रदेश दिवस-2025', दिनांक 25 जनवरी, 2025 को 'राष्ट्रीय पर्यटन दिवस/मतदाता जागरूकता दिवस' तथा दिनांक 26 जनवरी, 2025 को 'गणतंत्र दिवस' के अवसर पर सभी जनपदों में भव्यपूर्ण ढंग से कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित किया जाये।

5. 'उत्तर प्रदेश दिवस-2025' के अवसर पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा एक जनपद-एक उत्पाद के अन्तर्गत प्रदेश के शिल्पकारों के उत्पादों की प्रदर्शनियों का आयोजन सुनिश्चित किया जाये। इन प्रदर्शनियों के स्टॉल्स में ओ0डी0ओ0पी0 के उत्पादों का विक्रय भी सुनिश्चित किया जाये।

6. 'उद्योग एवं अवस्थापना विभाग' द्वारा स्टार्टअप व ईज ऑफ डूईंग बिजनेस पर आधारित प्रदर्शनी, इनवेस्ट 'उत्तर प्रदेश' द्वारा वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनामी पर आधारित प्रदर्शनी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रगतिमान उत्तर प्रदेश पर आधारित प्रदर्शनी, गृह विभाग द्वारा मिशन शक्ति पर आधारित प्रदर्शनी, संसदीय कार्य विभाग द्वारा संविधान गैलरी एवं संविधान का अमृत काल, नगर विकास द्वारा कुम्भ पर आधारित प्रदर्शनी, संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश की कला, संस्कृति व इतिहास पर आधारित प्रदर्शनी, काकोरी ट्रेन एक्शन पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन सुनिश्चित किया जाये।

7. उक्त के अतिरिक्त उच्च शिक्षा विभाग द्वारा श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपेयी शताब्दी वर्ष, समाज कल्याण विभाग द्वारा भगवान बिरसा मुण्डा जी की 150वीं जयन्ती पर आधारित प्रदर्शनी, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग द्वारा लौहपुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल पर आधारित प्रदर्शनी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा आपातकाल पर आधारित प्रदर्शनी, पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश के पर्यटन एवं पौराणिक स्थलों की प्रदर्शनी तथा प्रदेश के पर्यटन स्थलों के वर्चुअल टूर का आयोजन किया जाये।

8. विभिन्न विभागों द्वारा ऐसी विशिष्ट सफल प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाये जो कि युवा पीढ़ी के लिये अनुकरणीय हों, पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्यमियों को सम्मानित किया जाये, युवा पर्यटन क्लब के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाये, स्वयं सहायता समूहों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाये, संस्कृति एवं कला जगत से जुड़ी अन्य हस्तियों को राजभवन में दिनांक 26 जनवरी, 2025 को सम्मानित किया जाये। खेल विभाग द्वारा दिये जाने वाले पुरस्कारों का भी वितरण किया जाये।

9. नगर विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा दिनांक 12 से 23 जनवरी, 2025 की अवधि में विशेष स्वच्छता अभियान चलाते हुए समस्त ग्राम पंचायतों एवं नगर पंचायतों में साफ-सफाई से सम्बन्धित कार्य कराये जायें।

10. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, कृषि एवं विज्ञान विभाग, चिकित्सा विभाग तथा अन्य विभागों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले हस्तशिल्पियों किसानों, उद्यमियों, चिकित्सकों आदि का चयन करते हुए 'उत्तर प्रदेश दिवस-2025' के अवसर पर सम्मानित किया जाये।

11. लखनऊ के राज्यस्तरीय आयोजन हेतु गत वर्षों की भांति विभिन्न विभागों से निम्नानुसार सहयोग राशि अपेक्षित है:-

पर्यटन विभाग-	रू0 50.00 लाख
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग-	रू0 30.00 लाख
एम0एस0एम0ई0 विभाग-	रू0 25.00 लाख
समाज कल्याण विभाग-	रू0 10.00 लाख

उक्त सहयोग राशि लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान, लखनऊ के खाता संख्या-41678695927, भारतीय स्टेट बैंक, जवाहर भवन ब्रांच, लखनऊ आई0एफ0एस0 कोड-SBIN0006144 में जमा करायी जायेगी। इस धनराशि से नोडल के रूप में संस्कृति विभाग द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सांस्कृतिक आयोजन, प्रदर्शनियाँ अन्य विविध गतिविधियां वित्तीय नियमों एवं प्रक्रियाओं के अन्तर्गत सुनिश्चित की जायेंगी।

12. लखनऊ के अतिरिक्त अन्य जिलों में आयोजन हेतु संस्कृति विभाग द्वारा प्रत्येक जनपद को रू0 1.00 लाख (रूपये एक लाख मात्र) की धनराशि जिला पर्यटन व संस्कृति परिषद के बैंक खातों में प्रदान की जायेगी। जिला स्तरीय आयोजन हेतु अतिरिक्त धनराशि का वहन विभिन्न विभागों को प्राप्त प्रचार-प्रसार मद से (IEC) सहयोग (कन्वर्जेन्स) धनराशि एकत्र कर किया जायेगा।

13. नोएडा में आयोजित राज्यस्तरीय आयोजन हेतु समस्त व्यय नोएडा विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण एवं यमुना एक्सप्रेस वे विकास प्राधिकरण द्वारा 40:40:20 के प्रतिशत के अनुतान में वहन किया जायेगा।

14. उ0प्र0 दिवस-2025 के आयोजन कराये जाने हेतु समस्त जिलाधिकारियों द्वारा अपनी अध्यक्षता में शीघ्र ही उत्तर प्रदेश दिवस-2025 की थीम विकास व विरासत: प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश की योजनाओं से सम्बन्धित सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उक्त आयोजन, प्रदर्शनी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु व्यापक तैयारी करा ली जायें।

15. 'उत्तर प्रदेश दिवस-2025' के अन्तर्गत आयोजित समस्त कार्यक्रमों का विवरण एवं फोटोग्राफ्स संस्कृति विभाग के पोर्टल https://culturalevents.in पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

कृपया 'उत्तर प्रदेश दिवस-2025' के सफल आयोजन हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
मनोज कुमार सिंह
मुख्य सचिव।

संख्या- 11 /2025/ 67 (1)/चार-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त सम्बंधित विभाग।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा विकास प्राधिकरण/ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण एवं यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण।
7. महानिदेशक, पर्यटन।
8. प्रमुख अभियंता, लखनऊ विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश ।
9. उपरिल्लिखित समस्त विभागों के निदेशक।
10. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम/नगर पंचायत ।
11. प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को ।
12. निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मुकेश कुमार मेश्राम
प्रमुख सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।